न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या:– 169/2022
राजस्व वाद:– अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

1. ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम जाति बाजीगर निवासी पक्का कलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा (पंजाब)

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

प्रतिवादी.....

उपस्थित:–
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक:– 21.12.2022

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है उक्त भूमि में वादी का 481/3370 हिस्सा बंट में आता है जमाबंदी संवत् 2077–2080 संलग्न वाद पेश है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम ताराराम पुत्र पठाणाराम है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अपनी मनमर्जी से ताराराम पुत्र बीजाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुए हैं तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है इसलिए वादी ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम ताराराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम ताराराम पुत्र बीजाराम दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भयंकर समस्याओं का सामना [illegible] रहा है। वादी ने दिनांक 20.06.2022 को अपना नाम सही करवाने हेतु [illegible] किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दु[illegible] तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिए वादी ग्राम बावड़ी बरसिंगा [illegible]र क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम ताराराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

पठाणाराम के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बावडी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम ताराराम पुत्र बीजाराम दर्ज चला आ रहा है। वाद के साथ पेश दस्तावेजों में वादी का नाम ताराराम पुत्र पठाणाराम है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ताराराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। वादी के बयान पी डब्लू–1, मुख्तयार राम के बयान पी डब्लू–2, भवरू खां के बयान पी डब्लू–3 कलमबद्व किये किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077–2080 ग्राम बावडी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडी सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर स्थित है। वादी की वल्दियत राजस्व रेकर्ड में बीजाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत पक्का कला तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ग्राम बारू के खाता संख्या 104 जमाबंदी सम्वत् 2078–81 इत्यादि से साबित है कि वादी की वल्दियत पठाणाराम है। वादी ने अपने वाद को को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडी सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम ताराराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पा[illegible] शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल [illegible] नाम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम जाति बाजीगर निवासी पक्का कलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा (पंजाब)

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

प्रतिवादी.....

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट — मुकदमा संख्या :— 169 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडी सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 191 रकबा 27.2758 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम ताराराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर ताराराम पुत्र बीजाराम उर्फ पठाणाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.12.2022को जारी की गई।

(मांगीलाल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested